ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 195-198**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

प्राथमिक शिक्षा – समस्या एवं समाधान

डॉ0 नीति

एम0 एस–सी0, एम0 एड0–एसो. प्रोफेसर – शिक्षण – प्रशिक्षण, बी.एड. विभाग, चौधरी चरण सिंह पी. जी. कालेज, हेवंरा– इटावा (उ.प्र.), भारत

Received- 04.03. 2022, Revised- 09.03.2022, Accepted - 13.03.2022 E-mail: neetiy71@gmail.com

सारांशः – ***उन्नति की दौड़ में तथा आज के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा ही राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन प्राथमिक शिक्षा ही है। शिक्षा हमें सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवदेनशीलता और अनुभव को तेज कराती है। इससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक समझ का विकास होता है। इसके द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर जन शक्ति का विकास होता है। कुल मिलाकर यह शिक्षा हमारे संविधान द्वारा प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति मे सहायक होती है। प्राथमिक शिक्षा का महत्व इस बात से भी है कि अधिकतर नागरिकों के लिए संपूर्ण शिक्षा इसी स्तर पर ही समाप्त हो जाती है। अतः इस नींव को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से स्पष्ट है कि छः से चौदह वर्ष के बीच दी जाने वाली शिक्षा व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है।***

कुंजीभूत शब्द– राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, आधारशिला, प्राथमिक शिक्षा, संवदेनशीलता, लोकतंत्र ।

वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का स्रोत भारतीय संविधान द्वारा दर्शाया गया है, किन्तु इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में शिक्षा के विविध उद्देश्य रहे हैं। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का निर्माण इस प्रकार करना था, जिससे वह 'मोक्ष' की प्राप्ति कर सके।

बौद्धकाल में शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान जीवन में ही निर्वाण प्राप्त करना था। आचरण में नैतिकता लाना तथा मस्तिष्क को स्थिरता और शांति देना था। मुस्लिम काल मे भी शिक्षा का उद्देश्य भी धार्मिक था। अंग्रेजी काल मे शिक्षा का उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना था, जो जनता तथा सरकार के बीच अंग्रेजी भाषा द्वारा संपर्क स्थापित कर सके।

भारतीय शिक्षा आयोग 1964–66 द्वारा गठित दल के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य :

(क) जूनियर कक्षाओं (1 से 5) के लिए शिक्षा के उद्देश्य–

1. पढ़ने, लिखने तथा गणित का आरंभिक ज्ञान और कौशल प्राप्त करना।
2. स्वास्थ्यवर्द्धक जीवन के आधारभूत नियमों की जानकारी प्राप्त करना तथा उन पर आचरण करना।
3. अपने सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक, पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना और उसके प्रति संवेदनशील होगा।
4. दैनिक जीवन में विज्ञान की देन को समझना।
5. मौखिक तथा गैर मौखिक रीति से अपने आपको सरल और सृजनात्मक ढंग से व्यक्त करना।
6. राष्ट्रीय चिह्नों तथा राष्ट्रीय उत्सवों द्वारा छात्रों में राष्ट्रीयता की नींव डालना।
7. छात्रों मे श्रम की भावना का निर्माण करना।
8. सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छात्रों का सामाजिक विकास इस प्रकार करना कि उनमें इस प्रकार के गुणों का निर्माण हो, जैसेदृ नम्रता, सहयोग तथा मेल – जोल आदि।
9. सभी धर्मस्थलों के प्रति आदर की भावना का निर्माण करना।
10. ध्यानपूर्वक सुनने, अवलोकन करने तथा चिंतन आदि कौशलों का विकास करना द्य
11. अपने निकटतम पर्यावरण को जानने की भावना का निर्माण करना।
12. देश के सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में कुछ जानकारी देना।
13. देश तथा विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता के बारे में कुछ ज्ञान देना।

1. विभिन्न विषयों के आधारभूत तथ्यों, सिद्धांतों तथा कौशलों का ज्ञान प्राप्त करना और उनको उचित अवस्थाओं मे प्रयोग मे लाना।
2. दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मौखिक तथा लिखित भाषा में व्यक्त करने की क्षमता का निर्माण करना।
3. गणित मे विभिन्न संबंधों को समझने की क्षमता का विकास करना।
4. व्यक्ति तथा सामाजिक स्वास्थ्य के आधारभूत सिद्धांतों को समझने और उन पर आचरण करने की क्षमता का निर्माण करना।
5. देश के भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य के प्रति उचित भावना का विकास करना।
6. देश की विभिन्नता में एकता के तत्वों को समझना।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

7. विज्ञान की दैनिक जीवन में देन को समझना।
8. आदर तथा स्नेह जाग्रत करना।
9. बालकों मे कर्त्तव्यनिष्ठा के भावों का विकास करना।
10. बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
11. बालकों में श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना।
12. बालकों को पर्यावरण संबंधी जानकारी प्रदान करना।
13. बालकों का जनसंख्या संबंधी ज्ञान बढ़ाना।
14. बालकों में भाईचारें की भावना का विकास करना।
15. बालकों में अंतराष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना।
16. बालकों में सभी धर्मों के प्रति समभाव का विकास करना।
17. उपर्युक्त क्रियाओं तथा अनुभवों के प्रावधानों द्वारा बच्चों को उच्च जीवन के लिए तैयार करना।

भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी लक्ष्य इस प्रकार दर्शाया गया है– 'राज्य चौदह वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान लागू होने पर दस वर्ष के भीतर करेंगे । इसमें तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं :

1. राज्य का अर्थ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों से है।
2. इसमें 'प्राथमिक शिक्षा ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया।
3. इसमें शिक्षा के वर्षों की अवधि का भी उल्लेख नहीं है।

संविधान के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार तथा सभी राज्यों ने भरसक प्रयास किए हैं, परंतु बच्चों की बड़ी संख्या अभी भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित है, या पूरा लाभ उठा नहीं पाई।

सन् 2002 में संविधान में संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 21 ए धारा मे लिया गया। विस्तृत रूप से प्राथमिक शिक्षा के सर्वीकरण में निम्नलिखित तत्त्वों का समावेश है :

1. सभी बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना।
2. सभी बच्चो के लिए इस प्रकार की शिक्षा के लिए उनके घर के समीप स्कूल में प्रवेश की व्यवस्था करना।
3. चौदह वर्ष की आयु तक बच्चों का स्कूल मे टिके रहना और बच्चों का बीच मे स्कूल न छोड़ना।
4. प्राथमिक शिक्षा के वर्गीकरण करने के लिए संवैधानिक अनुच्छेद 45 का पालन करना। अब अनुच्छेद 45 में संशोधन कर दिया गया है।

सन् 2002 मे संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 21 ए के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक आधार में शामिल कर लिया गया है। समस्या व समाधान : प्राइमरी शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा की बात सब जगह की जाती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि बेसिक शिक्षाविहीन व्यक्तियों के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में संसार के सबसे ज्यादा निरक्षर रहते हैं। इस जनसंख्या के साथ भारतवर्ष इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश किया है, जो भी विकास हो, समग्र रूप से हम उन्नति नहीं कर सकते। अशिक्षितों में महिलाओं की संख्या दो– तिहाई है। उधर वैश्वीकरण से विकसित देशों में कड़ी प्रतियोगिता की भावना आ रही है। इस स्थिति में, 10 प्राथमिक शिक्षा मे कुछ मुद्दों पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना शिक्षा तथा विकास का आधार ही नहीं बनेगा।

पहला मुद्दा सभी के लिए शिक्षा का है। 'सब' का अर्थ यहां सभी वंचित लोगों से है, जो समृद्ध प्रभावशाली परिवार है, वे तो सभी शिक्षा ले ही रहे हैं, उन्हें छोड़ दें। केवल रह गए, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। बच्चे पहले तथा प्रौढ़ बाद में आने चाहिए। आर्थिक दशा ही एक वास्तविक मापदण्ड होना चाहिए, जाति क्षेत्र, लिंग– भेद आदि नहीं। अन्यथा सम्पन्न परिवारों के विद्यार्थी ही सारी धनराशि हड़प कर जाते हैं। जो भी प्यासा है, उसे (पूर्ण) पानी की आवश्यकता है, भूखे को (अच्छे) भोजन की, चाहे वह किसी भी जाति, क्षेत्र, लिंग से सम्बन्ध रखता हो।

शिक्षा मनुष्य के सर्वागीण विकास तथा समाज, राष्ट्र और उत्थान का एकमात्र सशक्त साधन है। अतः 'शिक्षा जीवन के लिए' का सिद्धांत सब विकासशील देशों की प्राथमिकता रही है।

यदि किसी देश या समाज का विनाश करना है, तो वहां की शिक्षा को नष्ट कर दे, स्वयं वह देश या समाज नष्ट हो जाएगा। यदि उसका सच्चा विकास करना है, तो एक ही मूलमन्त्र है– वहां शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो, उसे सबसे ऊपर समझा जाए। हमें यह बात पूर्णतया, सर्वप्रथम समझ लेने की आवश्यकता है। आज विकसित देश हमें यही सबक सिखाते प्रतीत हो रहे हैं। अपनी क्या स्थिति है? हमारे देश को स्वतन्त्र हुए 65 वर्ष हो गए, परन्तु लगभग 40 प्रतिशत लोग निर्धनता की रेखा से नीचे रह रहे हैं। संसार के 30 प्रतिशत भूखे लोग यहां रह रहे है। लगभग 37.2 प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार हैं। देश प्रत्येक वर्ष अपनी जनसंख्या में एक आस्ट्रेलिया या श्रीलंका सम्मिलित कर लेता

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

है, यहां 8–10 बच्चे प्रति सेकेण्ड, 50 हजार बच्चे प्रतिदिन जन्म लेते हैं। श्रम बालक तथा कम भोजन मिलने वाले बालकों की संख्या में हम संसार भर में पहले नम्बर पर हैं। यह सब क्यों हुआ? छोटे– छोटे देश, जो हमारे साथ स्वतन्त्र हुए थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम शिक्षा की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाए, इससे राष्ट्र के विकास में महत्व को नहीं समझ पाए। परिणामस्वरूप समस्याएं जटिल होती गई और वे उग्र रूप धारण कर लिया।

आज हम सर्वत्र (एक संसार), ग्लोबालाइजेशन की बात करते हैं, प्रत्येक बात में सारे संसार की स्थिति के बारे में सोचते हैं, तब आभास होता है कि हमे क्या करना है? हम कहाँ हैं? हमारे देश में 35 प्रतिशत पुरूष, 62 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं, जबकि संसार का साक्षरता दर 77 प्रतिशत है। चीन का 82 प्रतिशत है, जो संसार का सबसे बड़ा देश है। कई और देशों की साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है, जैसे– मैक्सिको 90, इण्डोनेशिया 84, ब्राजील 83। फिर जहाँ साक्षरता की दर ही कम है, वहां शिक्षा की दर क्या होगी? साक्षरता का स्तर तो लगभग प्राइमरी की तीसरी कक्षा के बराबर होता है।

अतः हमारे देश को सबसे पहले बुनियादी शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार की ओर ध्यान देना होगा और विशेष रूप से कमजोरों पर।

प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं और समाधान– सरकार की नीति दोषपूर्ण है, क्योंकि वह वास्तविकता पर आधारित न होकर आदर्शवादिता पर अवलम्बित है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार ने बेसिक शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया। उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा को आदर्श माना। अतः उसने पहली पंचवर्षीय योजना में ही प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक विद्यालयों में परिवर्तित करने का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया, किन्तु दूसरी योजना की अवधि में ही उसको इस बात का अनुभव हो गया कि भारत जैसे विशाल देश में बेसिक शिक्षा प्रणाली को प्रचलित करने में बहुत अधिक समय लगेगा। सरकार ने "तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रारंभिक रूपरेखा" मे यह घोषित किया– "पूरी तरह से विकसित बुनियादी विद्यालयों को चलाने की दिशा में प्रगति होने में बहुत समय लेगेगा।" इस समस्या का समाधान यही है कि सरकार जो नीति बनावे उसका पालन हो और सफलता अर्जित की जाय। एक सरकार नीति बनाती है, तो दूसरी सरकार बदले की भावना से उसे बदल देती है, ऐसा ठीक नहीं। सरकार को चाहिए कि वह अपनी दोषपूर्ण नीतियों का परित्याग करके उचित नीतियां बनावे।

इसी प्रकार शिक्षा की दोषपूर्ण प्रशासन ने भी इस दिशा में समस्याओं को जन्म दिया है, जिसके लिए अग्रांकित सुझाव दिया जा सकता है–

केन्द्रीय सरकार को यह स्वीकार करके कि नागरिकों को शिक्षित करने का भार राष्ट्र के ऊपर होता है, प्राथमिक शिक्षा के पुनीत कार्य का उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए। इसे इस शिक्षा से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा विषयक अधिनियमों को समयानुकूल बनवाया जाना चाहिए और निर्धन क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं प्रशासन के लिए मुक्त ह्रदय से सहायता अनुदान देना चाहिए। सरकार यह कहकर कि भारत में शिक्षा राज्य का विषय है, अपने को प्राथमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर सकती है। तत्कालीन सरकार इस सम्बन्ध में अपने दायित्व को स्वीकार किया है और इस शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत व्यय करने का निर्णय किया है। साथ ही उसने नयी शिक्षा नीति का निर्धारण एवं उसके संचालन का कार्य अपने हाथों में लिया है। इसी निर्णय के अनुसार उसने सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा का और सन 1992 में उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी किये हैं।

कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया है, यह है कि भारत सरकार की एक विद्यालय परिषद का निर्माण करके सम्पूर्ण देश के विद्यालय स्तर की शिक्षा के सब कार्य सौंप देने चाहिए यथा सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, शिक्षा का विकास एवं नियोजन विद्यालयों को सहायता अनुदान आदि।

नगरों और ग्रामीण विद्यालयों के लिए जिसका समाधान इस प्रकार है, जब तक बेसिक शिक्षा की योजना सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित न हो जाये, तब तक प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किसी उपयोगी शिल्प या हस्तकार्य को स्थान दिया जाये। इसी बात को ध्यान में रखकर 'कोठारी कमीशन' ने निम्नलिखित दो विचार व्यक्त किये हैं–

1. निम्न प्राथमिक स्तर पर छात्रो को उन कार्यों में भाग लेना चाहिए, जिनसे उनकी रचनात्मक एवं–1 उत्पादन– कुशलता का विकास हों।
2. उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को साधारण कलाओं एव शिल्पी से सम्बन्धित कार्य करने चाहिए।

इन विचारों के आधार पर 'कोठारी कमीशन' ने निम्न और उच्च प्राथमिक स्तरों पर कार्य अनुभव और समाज सेवा' को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने का सुझाव दिया है।

सन् 1986 तथा 1992 की कार्य योजनाओं में शिक्षा के लिए बालकेन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाने की परिकल्पना की गई। इस परिप्रेक्ष्य में सभी बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देने तथा नामांकित बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक स्कूलों में रोककर रखने तथा शिक्षा की कोटि में पर्याप्त सुधार लाने के प्रयासों पर बल दिया गया है। साथ ही, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर एक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार कराया। इस कार्य को सन् 1988 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने पूरा किया। इस पाठ्यक्रम में स्कूली बस्ते के बोझ को कम करने का प्रयास किया है। साथ ही, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण स्तर निर्धारित करने का प्रयास किया है।'

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में धन की कमी भी एक महत्वपूर्ण अवरोधक है। 1991 के भारत की 84.39 करोड़ जनसंख्या में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे 46.8 प्रतिशत थे। परन्तु जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने बालकों की इस संख्या में वृद्धि कर दी। बच्चों की इस अति विशाल संख्या के लिए सरकार अपनी सम्पूर्ण आर्थिक शक्ति का प्रयोग करके भी अल्प समय मे अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कदापि नहीं कर सकती है।

अतः यह आवश्यक है कि जनता इस कार्य में सरकार का हाथ बंटाएं। जनता ने भारत– चीन और भारत– पाकिस्तान युद्धों के दौरान में जिस तत्परता और जिस आत्म– त्याग का परिचय दिया था, उसका एक अंश भी यदि उसमें अनिवार्य शिक्षा के प्रति हो, तो भारत के किसी भी बच्चे का जीवन शिक्षा के अभाव के कारण उतना हीन, अनाकर्षक एवं रूचिकर नहीं रह जायेगा, जितना कि आज है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, जे० सी०: भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, सिपरा, 2011, पृ०–241–243.
2. राम, डॉ० आत्माः भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा, जीवन ज्योति प्रकाशन– दिल्ली, 2004, पृ०–22.
3. दूबे, डॉ० सत्य नारायण 'शरतेन्दु': भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास – समस्याएं, अनुभव पब्लिशिंग हाऊस इलाहाबाद– 2009, पृ०– 223–227.
4. जे० पी० नाईकः भारत मे प्राथमिक शिक्षा शेष संकल्प, वाग्देवी प्रकाशन– बीकानेर, 2006, पृ०–71.
5. त्रिपाठी, रेणु एवं त्रिपाठी, अर्पणा भारत में प्राथमिक शिक्षा, ओमेगा पब्लिकेशन्स– नई दिल्ली, 2006, पृ०दृ95.

*****